

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़

आवेदन पत्र का प्रकार :

1	KOT-127	हिरलीबाई / रीछा / कोथमीर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1(अ)व(ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत	आवेदक को संयुक्त मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 35 पर राशि 6572 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका ग्राम की अंतिम परिवार सूची में माता के रूप में दर्ज होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
---	---------	--------------------------	---	---	-----	---	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	Pre-515	अनोखीलाल / विश्राम / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 9 पर मकान मुआवजा 17122 एवं आवेदक के पिता को आबादी गणना पत्रक क्र. 4 पर मकान की मुआवजा राशि 67069 निध्नरित कर भुगतान की गई है। पु.अनु. पत्रक क्र. 7 पर कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20616 आदेश दि. 12. 11.08 द्वारा अमान्य	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 17122 का भुगतान की गई एवं आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में वयस्क के रूप में दर्ज है।	
2	Pre-512	नंदु / जलाल / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क्र. 35 पर मकान की मुआवजा राशि 14947 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20618 दिनांक 07.01. 02 द्वारा मान्य	आवेदक को जीआरए कंडिका 7.2 की अंतर की राशि 10053 का भुगतान किया गया। पात्रता नहीं।	
3	Pre-516	उर्मिलाबाई / पति दलपत / प्रेमगढ़	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	—	जीआरए. प्रकरण क्र. 20609 आदेश दि.10.06. 09 द्वारा कार्यक्षेत्र में नहीं	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं एवं डब लाईन के बाहर होने से अर्जन नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

4	Pre-517	बालकसिंह / भीमसिंह / प्रेमगढ़	मेरे घर का भ अर्जन करने बाबत्	-	जी.आर.ए प्रकरण 20608 आदेश दि.10.06.09 द्वारा कार्यक्षेत्र में नहीं	कार्यपालन यंत्री नर्मदा वि. संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदक का मकान शामिल नहीं एवं डब लाईन के बाहर होने से अर्जन नहीं किया गया।	
5	Pre-513	समौताबाई / सुभान / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को गणना पत्रक क्र. 25 पर मकान की मुआवजा राशि 14174 निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदिका को पुन.अनु.ग.प.क्र. 63 पर कंडिका 7.2 की राशि 5826 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए 20617 दि. 10.06.08 द्वारा मान्य	जी.आर.ए के आदेश के पालन में आवेदक को कंडिका 7.2 (मकान अंतर) की राशि 5000 का भुगतान किया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
6	Pre-514	सालकराम / सुरज्या / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क्र. 14 पर मकान की मुआवजा राशि 17075 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. गणना पत्रक क्र. 10 पर कंडिका 7.2 की राशि 2925 भुगतान की गई	जी.आर.ए के प्रकरण 20572 दि. 16.07.08 द्वारा मान्य	जी.आर.ए के आदेश के पालन में आवेदक को कंडिका 7.2 (मकान अंतर) की राशि 5000 का भुगतान किया जा चुका है। पात्रता नहीं	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

1	Ram-1085	रमेश / भोलू / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जान बाबत।	आवेदक को एफआरएल कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 7 पर कृषि भूमि की मुआवजा राशि संयुक्त रूप से 132773 निर्धारित कर भुगतान की गई है। एवं आबादी गणना पत्रक क्र.7 राशि 16318 एवं पुन. अनुदान ग.प.क्र. 82 पर कृषि+नौकरी के रूप में राशि 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक की कृषि भूमि होने से भूमिहीन परिवार की पात्रता नहीं।	
---	----------	------------------------	---	--	---	--	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	Pre-532	बबलु / शंकर / प्रेमगढ़	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20591 आदेश दि. 25. 11.08 द्वारा अवयस्क होने से पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 32 पर उम्र-15 अवयस्क के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं है।	
2	Pre-524	जुवानसिंह / रतनसिंह / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	—	—	आवेदक के नाम कोई संपत्ति का अर्जन नहीं किया गया है व ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
3	Pre-519	श्रवण / धीरेसिंग / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक क्र. 17 पर मकान की मुआवजा राशि 22628 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प. क्र. 15 पर कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20569 आदेश 1.10.08 द्वारा कंडिका 7.2 राशि 2372 का भुगतान किया जा चुका है।	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

4	Pre-520	ग्यारसीबाई / राजाराम / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 26 पर मकान की मुआवजा राशि 13823 एवं जी. आर.ए के आदेश प्रकरण क्र. 20581 दि. 04.08.08, 16.06., 09.11.09 द्वारा कंडिका 7.2 मकान की अंतर राशि 11177/- भुगतान की जा चुकी है।	जी.आर.ए के प्रकरण 20628 आदेश 22.11.08 द्वारा विस्थापित की श्रेणी में नहीं होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
5	Pre-1088	रमेश / भोल्या (भोलू) / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को सयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना प.क्र.7 राशि 16318 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पु.अनु. गणना प.क्र. 82 पर कृषि+ नौकरी के रूप में राशि 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 16318 भुगतान की गई है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

6	Pre-521	मांगू / धीरजसिंह / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक के पिता कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 5 पर मुआवजा राशि 58942 निर्धारित कर भुगतान की गई है। तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.2 पर कृषक के रूप में 43700 राशि स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 20596 आदेश दि. 24.12.08 भाई के रूप में मान्य	आवेदक को जी.आर.ए के आदेश के पालन में कृषक के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
7	Pre-522	बाबू / भवरन / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 42 पर राशि 97043 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
8	Pre-523	सुरेश / राजाराम / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक पुन. अनुदान ग.प.क्र. 60 पर मजदूर के रूप में राशि 95164 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
9	Pre-518	शंकर / गोदालाल / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 31 पर मुआवजा राशि 20604 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. गणना पत्रक क्र. 44 मजदूर के रूप में राशि 93000 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

10	Pre-525	गोमतीबाई / पांच्या / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 67 पर मजदूर के रूप में राशि 93000/- स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
11	Pre-526	आशाराम / पांच्या / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 68 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास अनुदान की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
12	Pre-527	आशाराम / जलाल / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 66 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
13	Pre-528	धन्ना / विक्रम / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 62 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 96308 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

14	Pre-529	बनारसीबाई / रूपसिंह / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	कृषि मुआवजा गणना पत्रक 03 पर सयुक्त खाते में कृषि भूमि की मुआवजा राशि 138650/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। तथा पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 48 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
15	Pre-531	दशरथ / सालकराम / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 52 पर मकान की मुआवजा राशि 26700 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जीआरए के प्रकरण क्र. 19341 आदेश दि. 25. 11.08 द्वारा अमान्य	आवेदक को मकान की अंतर की राशि कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं	
16	Pre-533	कैलाश / गोपाल / प्रेमगढ़	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20594 आदेश दि. 24. 12.08 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 6 पर उर्म-15 वर्ष अवयस्क के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
17	Pre-534	अंजुबाई / विश्राम / प्रेमगढ़	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

18	Pre-535	संजूबाई / विश्राम / प्रेमगढ़	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
19	Pre-530	गोपाल / दशरथ / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 8 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
20	KOT-36	चम्पाबाई / टेमरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 102 पर राशि 32773 रु० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	--	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
21	KOT-43/3	रायसिंह / पागलियों / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक पर राशि रु० 1683 दी जा चुकी है। पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 144 पर 43700 रु० भुगतान किया गया।	--	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

22	Pre-1090	राधाकिशन / भोलिया / प्रेमगढ़	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को सयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना प.क्र.6 पर राशि 13355 निर्धारित कर भुगतान की गई है। एवं पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 81 पर कृषि+ नौकरी के रूप में राशि 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 13355 भुगतान की गई है।	
23	Pre-1092	जगदीश / राधाकिशन / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयों का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को सयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना प.क्र.6 राशि 13355 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 81 पर कृषि+ नौकरी के रूप स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	जीआरए के प्रकरण क्र. 19515 आदेश दि. 19.06.09 से अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
24	KOT-42	कालु / सुभान / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 79 पर राशि 143719 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

25	KOT-41	सुभान / जुवानसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 115 पर राशि 62180 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
26	KOT-40	बालू / नरला / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 76 पर राशि 39776 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
27	KOT-44	पूना / पांगलिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को संयुक्त खात मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक पर राशि रू० 1683 एवं पुनर्वास अनुदान 43700 दी जा चुकी है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
28	KOT-39	लालसिंह / गुलाबसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 89 पर राशि 54123 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
29	KOT-37	रेमा / सुभान / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 80 पर राशि 53881 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

30	KOT-35	रमेश / बरला / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 77 पर राशि 20813 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
31	KOT-34	भावसिंग / टेमरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	---	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
32	KOT-30	केलाश / गबरू / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 02 पर राशि 69809 रू० एवं आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्र.64 पर राशि 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
33	KOT-32	इन्दरसिंह / वेस्ता / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 5 पर राशि 38322 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

34	Pre-1091	राधाकिशन / भोलू / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को सयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना प.क्र.6 राशि 13355 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन अनुदान गणना पत्रक क्र. 81 पर कृषि+ नौकरी के रूप स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम से कृषि भूमि होने से भूमिहीन परिवार की पात्रता नहीं	
35	KOT-45	कालू / बोंदर / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 55 पर 93000 रु० भुगतान किया गया।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
36	KOT-29	भंखाड़िया / भावसिंह / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 109 पर राशि 101506 रु० एवं पुनर्वास अनुदान क्र. 171 पर राशि 93000 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
37	KOT-46	जुवानसिंह / ढुड़ला / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 45 पर राशि रु० 27839 एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रु० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

38	KOT-31	गबरू / दल्ला / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 2 पर राशि 69809 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	
39	Pre-1089	जगदीश / राधाकिशन / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदिका के पिता को सयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना प.क्र.6 राशि 13355 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19515 दि. 19.06.09 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
40	KOT-33	फुलसिंह / भागरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 112 पर राशि 10748 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० भुगतान किया गया है।	---	आवेदिका को पात्रता नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है	
41	KOT-38	रमेश / टेमरिया / कोथमीर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 2 पर राशि 18784 रू० एवं पुनर्वास अनुदान 93000 रू० दी जा चुकी है।	---	आवेदक को भूमिहीन के मान से पुनर्वास नीति के अनुसार समस्त लाभ दिये जा चुके हैं। आवेदक का आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : प्रेमगढ़ आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

1	Pre-1087	सनू / रमेश / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जान बाबत्।	आवेदिका के पिता को सयुक्त रूप से कृषि मुआवजा गणना पत्रक 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना प.क्र.7 राशि 16318 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण 19516 आदेश दिनांक 19.06.2009 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नही होने से अनुदान नही दिया गया।	
2	Ram-1086	मंजू / रमेश / प्रेमगढ़	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जान बाबत्।	आवेदिका के पिता को सयुक्त रूप में कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 7 पर मुआवजा राशि 132773 एवं आबादी गणना पत्रक क्र.7 राशि 16318 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण 19486 आदेश दि. 11. 06.09 द्वारा वयस्क पुत्री के रूप में अनुदान राशि 34350 स्वीकृत	आवेदिका के पिता के नाम कृषि भूमि होने से भूमिहीन परिवार की पात्रता नही	